एस0सी0एन0आई0 प्रकरण क0 1764/2018
श्रीकांत दुबे वि0 राजेश यादव

प्रकरण अंतरण पर प्राप्त।

22-07-2026 परिवादी द्वारा श्री विनय कुमार दुबे अधि0 उपस्थित।
अभियुक्त सहित श्री श्रीपाल गौतम अधि0 उपस्थित।
प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर परिवादी द्वारा 01 आवेदन–पत्र वास्ते राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त करने बावत् प्रस्तुत किया, जिसमें व्यक्त किया कि, उभयपक्ष के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा के आधार पर परिवादी को संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है, अब कोई राशि लेना शेष नहीं है, इसलिये परिवादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होना तथा राजीनामा के आधार पर कार्यवाही समाप्त किया जाना व्यक्त किया गया। परिवादी के अनुसार उसे समझौते के अनुसार संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित है जो कि, राजीनामा योग्य है। अतः राजीनामा आवेदन–पत्र स्वेच्छिक तथा सद्भाविक होने से स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण बचाव साक्ष्य के स्तर पर है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पर समन शुल्क अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत ***रजिस्ट्रार जनरल मद्रास उच्च न्यायालय विरूद्ध एम.सी. सुब्रहमण्ड्यम के प्रकरण में पारित निर्णय 2021(3) एस.सी.सी.560*** *के अनुसार न्यायालय के बाहर राजीनामा होने पर भी परिवादी न्यायालय शुल्क वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि पक्षकार लोक अदालत के दिन ही राजीनामा करे अन्य दिनों में राजीनामा के आधार पर भी धारा 89 सी.पी.सी. के अंतर्गत लाभ पक्षकार को प्राप्त होगा।*

अतः उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में परिवादी के द्वारा प्रकरण वापिस लिये जाने के कारण अभियुक्त को उस आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

परिवादी के द्वारा दी गई न्यायालय शुल्क का प्रमाण पत्र 02 प्रतियों में नियमानुसार जारी किया जाये, एवं उसकी पावती आदेश पत्रिका में दी जाये।

प्रकरण का परिणाम सी0आई0एस0 में दर्ज कर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–

RISHIRAJ MISHRA

Digitally signed by RISHIRAJ MISHRA
Date: 2026.07.22 05:08:54 +0530

(ऋषिराज मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म0प्र0)